अनुलग्नक– 14 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 3.30)

(क) जिला /प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1388 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार.

आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

सी0 अशोक वर्धन,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24/7/04

विषय- जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यो को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर निम्न रूप से अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है :-

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष ।
(II) अध्यक्ष, जिला परिषद - सदस्य ।
(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रखण्ड प्रमुख - सदस्य ।
(IV) (सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि) - सदस्य ।
(V) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव ।
(VI) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ख) प्रखण्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख - अध्यक्ष ।
(II) सांसद, विधायक और मुखियागण - सदस्य ।
(III) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।
(IV) अंचल अधिकारी - सदस्य सचिव ।
(V) संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य ।

(ग) पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) मुखिया - अध्यक्ष ।
(II) पंचायत वार्ड के सदस्यगण - सदस्य ।
(III) विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए

निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी) - सदस्य ।
(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।
(V) पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों - सदस्य ।
(VI) पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी - सदस्य सचिव ।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा- अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिये हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में गांवों/टोलों में वितरण किया जाएगा।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नकद राशि के संबंध में पूरी सूचना प्रखण्ड/पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या 1435 दिनांक 20.08.01 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी में प्रकाशित/प्रसारित कराने की व्यवस्था अवलिम्ब की जाए ।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- माननीया मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।